

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना

पटना, दिनांक-

विषय:- स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजनान्तर्गत आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में SWM घटक में केन्द्रांश की विमुक्त राशि 3435.00 लाख रू0 (चौतीस करोड़ पैंतीस लाख रू0 मात्र) की सहायक अनुदान के रूप में आवंटन की स्वीकृति।

स्वीकृत्यादेश सं0-159 दिनांक-19/11/19 के आलोक में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजनान्तर्गत आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा SWM घटक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में केन्द्रांश की प्रथम/द्वितीय किस्त की राशि सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत विमुक्त किया गया है:-

क्र.सं.	SBM योजना का घटक	MoUD, New Delhi का पत्रांक/दिनांक	राशि (लाख रू0 में)
1	SWM	No. 1/29/2015-SBM दिनांक-13.12.18	3435.00
		कुल	3435.00

(चौतीस करोड़ पैंतीस लाख रू0 मात्र)

उक्त के आलोक में 3435.00 लाख रू0 (चौतीस करोड़ पैंतीस लाख रू0 मात्र) सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राशि की राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की एक मुश्त निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंतर्गत सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को बैंक ड्राफ्ट द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा, जो आवश्यकतानुसार नगर निकायों/एजेंसी को विमुक्त किया जायेगा। उक्त राशि की निकासी वित्त विभागीय परिपत्र सं0-2561 दिनांक-17.04.98 वित्त विभाग के पत्रांक-8699 दिनांक-29.11.2018 एवं पत्रांक-354 दिनांक-28.03.18 के अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

3. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। चूंकि यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। ये सभी योजनाए नई है, इसलिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं.-7355 वि (2) दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में विषयांकित मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
5. स्वीकृत राशि 3435.00 लाख रू0 (चौतीस करोड़ पैंतीस लाख रू0 मात्र) माँग सं0- 48, मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष-051-निर्माण, उप शीर्ष-0201-स्वच्छ भारत अभियान, विषय शीर्ष-3105 सहायता अनुदान, 0201.31.05-सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड -48-2217030510201, PFMS Code- 9757 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि 15000.00 लाख रू0 में से विकलनीय होगा।
6. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना एवं सरकार को अवश्य भेजा जायेगा।
7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का अधिकार होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-03/SBM-20-03/2015

दिनांक-

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-03/SBM-20-03/2015

120

दिनांक- 19.11.19

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार/वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/अपर सचिव-सह-उप निदेशक, बुडा/लेखापाल, बुडा/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा-2(बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/सभी नगर निकाय, बिहार/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19.11.19

सरकार के विशेष सचिव।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक-

विषय:- स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजनान्तर्गत आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में SWM घटक में केन्द्रांश की विमुक्त राशि 3435.00 लाख रू0 (चौतीस करोड़ पैंतीस लाख रू0 मात्र) की सहायक अनुदान के रूप में निकासी की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजनान्तर्गत आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा SWM घटक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में केन्द्रांश की प्रथम/द्वितीय किस्त की राशि सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत विमुक्त किया गया है:-

क्र.सं.	SBM योजना का घटक	MoUD, New Delhi का पत्रांक/दिनांक	राशि (लाख रू0 में)
1	SWM	No. 1/29/2015-SBM दिनांक-13.12.2018	3435.00
		कुल	3435.00

(चौतीस करोड़ पैंतीस लाख रू0 मात्र)

उक्त के आलोक में 3435.00 लाख रू0 (चौतीस करोड़ पैंतीस लाख रू0 मात्र) सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2018-19 में निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राशि 3435.00 लाख रू0 (चौतीस करोड़ पैंतीस लाख रू0 मात्र) की राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की एक मुश्त निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंतर्गत सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को बैंक ड्राफ्ट द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा, जो आवश्यकतानुसार नगर निकायों/एजेंसी को विमुक्त किया जायेगा। उक्त राशि की निकासी वित्त विभागीय परिपत्र सं0-2561 दिनांक-17.04.98 वित्त विभाग के पत्रांक-8699 दिनांक-29.11.2018 एवं पत्रांक-354 दिनांक-28.03.18 के अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

3. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। चूंकि यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। ये सभी योजनाए नई है, इसलिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं.-7355 वि (2) दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में विषयांकित मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
5. स्वीकृत राशि 3435.00 लाख रू० (चौतीस करोड़ पैंतीस लाख रू० मात्र) माँग सं०- 48, मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष-051-निर्माण, उप शीर्ष-0201-स्वच्छ भारत अभियान, विषय शीर्ष-3105 सहायता अनुदान, 0201.31.05-सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड -48-2217030510201, PFMS Code- 9757 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि 15000.00 लाख रू० में से विकलनीय होगा।
6. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना एवं सरकार को अवश्य भेजा जायेगा।
7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का अधिकार होगा।
8. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका के पृ०-163/टि० पर दिनांक-18-03-19 को प्राप्त है।
9. प्रस्ताव में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृ०-162/टि० पर दिनांक-18-03-19 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-03/SBM-20-03/2015

दिनांक-

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-03/SBM-20-03/2015

159

दिनांक- 19.03.19

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/अपर सचिव-सह-उप निदेशक, बुडा/लेखापाल, बुडा/प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा-2(बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/सभी नगर निकाय, बिहार/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(Signature) 19.03.19

सरकार के विशेष सचिव।